[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 26th August, 2016]

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 136-2016/Ext] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 26, 2016 (BHADRA 4, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2016

संख्या 3/8/2013–3एच०बी०III.— जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम 18), की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 में, नियम 10 में उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(1) जहाँ किसी बच्चे का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया है, ऐसे बच्चे के माता पिता या अभिभावक बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तिथि से बारह मास के भीतर या तो मौखिक रूप से या लिखित में रजिस्ट्रार को बच्चे के नाम के सम्बन्ध में सूचना देगा:

परन्तु–

(i) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002, के प्रारम्भ की तिथि से पूर्व किया गया था, सूचना 31 दिसम्बर, 2019 से पहले दी जाएगी;

(ii) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002, के प्रारम्भ की तिथि को या बाद में किया गया है, सूचना ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व दी जानी है;

(iii) ऐसे मामले में जहाँ रजिस्ट्रीकरण इन नियमों अर्थात् हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016, के प्रारम्भ पर या के बाद किया जाता है, सूचना ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तिथि से पन्द्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व दी जाती है।

धारा 23 की उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार,–

(क) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में है, तो पचास रुपये की विलम्ब फीस के भुगतान पर जन्म रजिस्टर के सुसंगत खाने में तुरन्त नाम को दर्ज करेगा;

(ख) यदि रजिस्टर उनके कब्जे में नहीं है तथा यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई है, तो आवश्यक विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा यदि सूचना लिखित में दी गई है तो पचास रुपये की विलम्ब फीस के भुगतान पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए उसे जिला रजिस्ट्रार को अग्रेषित करेगा"।

धनपत सिंह,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 26th August, 2016

No.3/8/2013-3HB-III.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Central Act 18 of 1969), the Governor of Haryana with the approval of the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Haryana Registration of Births and Deaths Rules, 2002, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2016.

2. In the Haryana Registration of Births and Deaths Rules, 2002, in rule 10, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within twelve months from the date of registration of the birth of the child, give information regarding the name of the child to the Registrar either orally or in writing:

Provided that-

(i) in case where the registration had been made prior to the date of the commencement of the Haryana Registration of Births and Deaths Rules, 2002, the information is given before the 31st December, 2019;

(ii) in case where the registration has been made on or after the commencement of the Haryana Registration of Births and Deaths Rules, 2002, the information is given before the expiry of the period of fifteen years from the date of such registration;

(iii) in case where the registration is to be made on or after the commencement of these rules viz. the Haryana Registration of Births and Deaths (Amendment) Rules, 2016, the information is given before the expiry of the period of fifteen years from the date of such registration,

subject to the provisions of Sub-section (4) of Section 23, the Registrar shall,-

(a) if the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the birth register on payment of late fee of fifty rupees;

(b) if the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and, if the information is given in writing, forward the same to the District Registrar for making the necessary entry on payment of a late fee of fifty rupees".

DHANPAT SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Health Department.